[redacted]

निदेशालय
आई0सी0डी0एस0
उत्तराँचल

संख्याः 196-97/देहरादून, दिनांक 2 | 5 | 2002

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरांचल।

विषयः **आंगनबाड़ी केन्द्र निरीक्षण संबंधी दिशानिर्देश।**

आई.सी.डी.एस. महिलाओं और बच्चों के समेकित विकास की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से छः सेवायें समेकित रूप में 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को प्रदान की जाती है। चूंकि आंगनबाड़ी केन्द्र हमारी योजना के आधार स्तंभ हैं, अतः इनका उच्च गुणवत्ता पूर्ण ढंग से संचालन किया जाना आवश्यक है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू संचालन से योजना की समुदाय में मांग बढ़ेगी, साथ ही आई.सी.डी.एस. की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। केंद्रों के सुचारू संचालन हेतु उनका नियमित एवं सार्थक निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों में यह बिन्दु उभर कर आया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। केंद्र निरीक्षण की मुख्य कमियां निम्नवत् हैं–

1. आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रणाली से नहीं किया जाता है।
2. निरीक्षण आंगनबाड़ी केंद्र की सम्पूर्ण व्यवस्था का न होकर मात्र रजिस्टर एवं लाभार्थी संख्या की गणना तक सीमित रहता है।
3. अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण नहीं किये जाते हैं, चिकित्सा विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण की स्थिति प्रायः समस्त जनपदों में शून्य है।
4. निरीक्षण के लिये केंद्रों का रोस्टर नहीं बनाया जाता है। फलस्वरूप वर्ष में कुछ केंद्र बार–बार निरीक्षित होते हैं एवं कतिपय केंद्रों का कोई निरीक्षण नहीं हो पाता है।
5. मुख्य सेविका के भ्रमण कार्यक्रम की क्रॉस चैकिंग डी.पी.ओ./सी.डी.पी.ओ. द्वारा बहुत कम हो रही है।
6. दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्रों में स्थित केंद्रों का निरीक्षण लगभग नगण्य है।
7. भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत कराने की लम्बी प्रक्रिया के चलते निरीक्षण हेतु कार्य दिवस काफी कम रह जाते हैं।
8. डी.पी.ओ./सी.डी.पी.ओ./सुपरवाईजर वर्गों में कार्य क्षेत्र दिवसों की संख्या एक जनपद से दूसरे जनपद में असमान रहती है।

उपरोक्त को ध्यान मे रखते हुए निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1. **न्यूनतम भ्रमण:-** जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 5-10 दिन, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा 10-15 दिन, एवं मुख्य सेविका द्वारा 15-20 दिन प्रति माह क्षेत्र भ्रमण किया जाना अनिवार्य होगा।

2. **केंद्रों का वर्गीकरण:-**प्रत्येक बाल विकास परियोजना के केंद्रों का वर्गीकरण निम्नवत् किया जायेगा:-

क्र0सं0	केंद्र का वर्ग	सड़क से केंद्र हेतु पैदल मार्ग की दूरी
1-	सुगम	1 कि.मी. तक
2-	दूरस्थ	1 से 5 कि.मी. तक
3-	दुर्गम	5 कि.मी. से अधिक

उपरोक्तानुसार केंद्रों का वर्गीकरण कर एक सूची निदेशालय को प्रेषित की जाये।

3. **त्रैमासिक भ्रमण कार्यक्रम:-**भ्रमण कार्यक्रम त्रैमासिक अवधि का बनाया जायेगा, जिसमें केंद्रों की स्थिति तथा माह का अंकन होगा। निम्न प्रारूप पर जनपद का त्रैमासिक भ्रमण कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संकलित कर जून,2002 के प्रथम सप्ताह तक निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा:-

जनपद स्तरीय त्रैमासिक भ्रमण कार्यक्रम

जनपद का नाम: माह: (1) (2) (3)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	केंद्र का नाम	केंद्र की स्थिति एवं सड़क से दूरी			निरीक्षण हेतु केंद्रों के नाम								
			सुगम	दुरस्थ	दुर्गम	जून			जुलाई			अगस्त		
						मुख्य सेविका	सी.डी.पी.ओ.	डी.पी.ओ.	मुख्य सेविका	सी.डी.पी.ओ.	डी.पी.ओ.	मुख्य सेविका	सी.डी.पी.ओ.	डी.पी.ओ.

* पदनाम के नीचे, निरीक्षण हेतु प्रस्तावित केंद्र के समक्ष सही (✓) का निशान लगाया जाय।

इसी तरह माह अगस्त,2002 के अंतिम सप्ताह तक अगले तीन माह (सितम्बर,अक्टूबर,नवम्बर) का संकलित भ्रमण कार्यक्रम तैयार कर निदेशालय को जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त त्रैमासिक भ्रमण कार्यक्रम में केंद्रो की स्थिति एवं माह का वर्णन अंकित होगा। इसी के आधार पर प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में आगामी माह का तिथिवार मासिक–भ्रमण कार्यक्रम सक्षम स्तर पर स्वीकृत कराया जायेगा समस्त जनपदों के मासिक–भ्रमण कार्यक्रमों की प्रति मासिक बैठकों में निदेशक को अवलोकित कराई जायेगी।

4. **वास्तविक निरीक्षण कार्यक्रम प्रपत्र**:–प्रत्येक माह मुख्य सेविका व बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किये गये वास्तविक निरीक्षणो की सूचना **वास्तविक निरीक्षण कार्यक्रम प्रपत्र** पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगी। प्रारूप निम्नवत् है:–

वास्तविक निरीक्षण कार्यक्रम प्रपत्र

माह: वर्ष:

परियोजना का नाम:

क्र0सं0	केंद्र का नाम	केंद्र की स्थिति सुगम/दूरस्थ/दुर्गम	बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निरीक्षित केंद्र	मुख्य सेविकाओं द्वारा सैक्टरवार निरीक्षित केंद्र			
				सैक्टर व मुख्य सेविका का नाम	सैक्टर व मुख्य सेविका का नाम	सैक्टर व मुख्य सेविका का नाम	सैक्टर व मुख्य सेविका का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8

5. बाल विकास परियोजना अधिकारी आधे से ज्यादा निरीक्षण मुख्य सेविका के साथ संयुक्त रूप मे करेंगे। संयुक्त निरीक्षणों में दूरस्थ एवं दुर्गम केंद्रों को विशेष रूप से सम्मिलित किया जायेगा।
6. प्रत्येक माह एक दुर्गम केंद्र (5 कि.मी. से अधिक पैदल) का निरीक्षण प्रत्येक मुख्य सेविका एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जिस माह दुर्गम केंद्र निरीक्षण नहीं किया जायेगा उसके अगले माह दो केंद्र निरीक्षण करने होंगे। प्रत्येक माह सुगम/दूरस्थ एवं दुर्गम तीनों श्रेणियों के केंद्रो का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।
7. मुख्य सेविका के भ्रमण कार्यक्रम में परिवर्तन, विशेष परिस्थितियों में, बाल विकास परियोजना अधिकारी की लिखित अनुमति पर मान्य होगा।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी का भ्रमण कार्यक्रम प्रति माह परियोजना के प्रत्येक सैक्टर को आच्छान्दित करेगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है:–

1. **न्यूनतम भ्रमणः**– जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 5–10 दिन, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा 10–15 दिन, एवं मुख्य सेविका द्वारा 15–20 दिन प्रति माह क्षेत्र भ्रमण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. **केंद्रों का वर्गीकरणः**–प्रत्येक बाल विकास परियोजना के केंद्रों का वर्गीकरण निम्नवत् किया जायेगा:–

क्र0सं0	केंद्र का वर्ग	सड़क से केंद्र हेतु पैदल मार्ग की दूरी
1–	सुगम	1 कि.मी. तक
2–	दूरस्थ	1 से 5 कि.मी. तक
3–	दुर्गम	5 कि.मी. से अधिक

उपरोक्तानुसार केंद्रों का वर्गीकरण कर एक सूची निदेशालय को प्रेषित की जाये।

3. **त्रैमासिक भ्रमण कार्यक्रमः**–भ्रमण कार्यक्रम त्रैमासिक अवधि का बनाया जायेगा, जिसमें केंद्रों की स्थिति तथा माह का अंकन होगा। निम्न प्रारूप पर जनपद का त्रैमासिक भ्रमण कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संकलित कर जून,2002 के प्रथम सप्ताह तक निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा:–

जनपद स्तरीय त्रैमासिक भ्रमण कार्यक्रम

जनपद का नामः   माहः (1)   (2)   (3)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	केंद्र का नाम	केंद्र की स्थिति एवं सड़क से दूरी			निरीक्षण हेतु केंद्रों के नाम								
			सुगम	दुरस्थ	दुर्गम	जून			जुलाई			अगस्त		
						मुख्य सेविका	सी.डी.पी.ओ.	डी.पी.ओ.	मुख्य सेविका	सी.डी.पी.ओ.	डी.पी.ओ.	मुख्य सेविका	सी.डी.पी.ओ.	डी.पी.ओ.

* पदनाम के नीचे, निरीक्षण हेतु प्रस्तावित केंद्र के समक्ष सही (✓) का निशान लगाया जाय।

इसी तरह माह अगस्त,2002 के अंतिम सप्ताह तक अगले तीन माह (सितम्बर,अक्टूबर,नवम्बर) का संकलित भ्रमण कार्यक्रम तैयार कर निदेशालय को जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

15. गृह भ्रमण संबधी दिशानिर्देश अलग से प्रेषित किये जा रहे हैं। फिलहाल कार्यकत्री एवं निरीक्षण अधिकारियों के गृह भ्रमण व्यवस्थित किये जायें, जिनमें महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों के स्तर की जानकारी के आधार पर विषयवार वार्ता की जायेगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की छाया–प्रति समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं मुख्य सेविकाओं को प्राप्त कराते हुऐ इनका कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(मनीषा पवार)
निदेशक,
o/c आई.सी.डी.एस.

पृष्ठांकन संख्या: 196-97/2002 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि:– सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तरांचल शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
o/c आई.सी.डी.एस.